REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264206 CG-DL-E-27062025-264206

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]	नई  दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025 / आषाढ़ 6, 1947
No. 379]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025 /ASHADHA 6, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

सा.का.नि. 422(अ)– स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमोंका प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3,उप-खण्ड (i) में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 226(अ), तारीख 15 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अर्न्तविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां पब्लिक को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 15 अप्रैल, 2025 को पब्लिक को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अवधि के दौरान पब्लिक से कोईआक्षेपया सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतःअब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम,2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातुः-

4225 GI/2025

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्थिर और गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 के उप नियम (1) में,

(i)"एडी: 2000" अक्षरों और अंकों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"एएसएमई बीपीवी खण्ड VIII प्रभाग 3"

(ii)"मुख्य नियंत्रक" शब्दों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"और हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन के लिए दाब पात्र के मामले में, दाब पात्र, मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा:

(क) आईएसओ 17081: विद्युत-रासायनिक तकनीक द्वारा धातुओं में हाइड्रोजन पारगमन के मापन और हाइड्रोजन अवशोषण और परिवहन के निर्धारण की पद्धति,

(ख) आईएसओ 10587: धातु और अन्य अकार्बनिक कोटिंग्स - बाह्य रूप से थ्रेडेड धात्विक-कोटेड और अनकोटेड दोनों प्रकार की वस्तुओं और छड़ो के अवशिष्ट भंगुरता के लिए परीक्षण–इनक्लाइन्ड वेज पद्धति,

(ग) आईएसओ 16573: इस्पात – अधिक शक्ति वाले इस्पात के हाइड्रोजन भंगुरता प्रतिरोध के मूल्यांकन के लिए माप विधि भाग 1: स्थिर भार परीक्षण,

(घ) आईएसओ 15330: फास्नर्स - हाइड्रोजन भंगुरता का पता लगाने के लिए प्री-लोर्डिंग परीक्षण -समानांतर बेयरिंग सतह पद्धति।"

3. उक्त नियम के, नियम 18 के उपनियम (5)के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) हाइड्रोजन के क्रायोजेनिक दाब पात्र के लिए वाल्व आईएसओ-21011 के उपबंधों या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार की गई किसी भी संहिता के अनुरूप होंगे।

4. उक्त नियमों के, नियम 19 के उपनियम(6)के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु हाइड्रोजन सर्विस के लिए दाबपात्र के मामले में, दाब पात्र की सर्विस के लिए समर्थता,नियम 13 में विनिर्दिष्ट मानकों के सुसंगत उपबंधों या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए किसी अन्य मानक सहित एपीआई 579 निर्धारण मानकों के अनुसार किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के, नियम 38 में, उप नियम (3)के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) क्रायोजेनिक हाइड्रोजन के परिवहन के लिए दाबपात्र, आईएसओ 228-1या आईएसओ 7-1 के सुसंगत उपबंधों या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य संहिता के अनुरूप भी होगा।"

> [फा. सं. 2(1)/2017-विस्फो.-भाग(2)] सुश्री निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i) में अधिसूचना सा.का.नि 1109 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018, सा.का.नि 148 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019, सा.का.नि 609 (अ),तारीख 31 अगस्त 2021, सा.का.नि 283 (अ),तारीख 28 अप्रैल, 2025 और सा.का.नि 374(अ),तारीख 05 जून, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2025

**G.S.R. 422(E).**— Whereas, the draft of certain rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, were published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 226 (E), dated 15th April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And Whereas, the copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 15th April, 2025;

And Whereas, no objection or suggestions received from the public within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016, namely:-

**1.** Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in rule 13, in sub rule (1),-

(i) after the letters and figures "AD:2000", the following shall be inserted, namely:-

"ASME BPV Section VIII Division 3"

(ii) after the words "Chief Controller", the following shall be inserted, namely:-

"and in the case of pressure vessel for storage and transport of hydrogen, the pressure vessel shall conform to the following standards accepted by the Chief Controller:

a. ISO 17081: method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique;

b. ISO 10587: Metallic and other inorganic coatings — test for residual embrittlement in both metallic-coated and uncoated externally-threaded articles and rods — Inclined wedge method;

c. ISO 16573: Steel — measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels Part 1: Constant load test;

d. ISO 15330: Fasteners — preloading test for the detection of hydrogen embrittlement — Parallel bearing surface method.".

3. In the said rules, in rule 18, after sub rule (5), the following shall be inserted, namely:-

"(6) The valves for cryogenic pressure vessels of hydrogen shall conform to the provisions of ISO-21011 or any code accepted by Chief Controller.".

4. In the said rules, in rule 19, after sub rule (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

"provided that in the case of pressure vessel for hydrogen service, the fitness for service of the pressure vessel shall be carried out as per API 579 Assessment Standards along with the relevant provisions of the standards specified in rule 13 or any other standard accepted by the Chief Controller.".

5. In the said rules, in rule 38, after sub rule (3), the following sub rule shall be inserted, namely:-

"(4) The pressure vessel for transport of cryogenic hydrogen shall also conform to the relevant provisions of ISO 228-1 or ISO 7-1 or any other code as accepted by the Chief Controller."

[F. No. 2(1)/2017-Expl-Part(2)]

Ms. NIDHI KESARWANI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification G.S.R. 1109 (E), dated the 1st December, 2016 and subsequently amended vide G.S.R 388(E), dated the 20th April, 2018, G.S.R 148(E), dated the 25th February, 2019, G.S.R. 609(E) dated 31/08/2021, G.S.R. 283(E) dated 28th April, 2025 and G.S.R. 374(E) dated 05th June, 2025.